भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2107

उत्तर देने की तारीख : 2 दिसम्बर, 2019

नेताजी से संबंधित अभिलेखों को अवर्गीकृत करना

2107. श्री सत्यदेव पचौरी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिंद फौज से संबंधित सभी अभिलेखों को अवर्गीकृत कर दिया है और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) और (ख) : जी, हां। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित सार्वजनिक किए गए अभिलेखों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	मंत्रालय/कार्यालय	अभिलेखों/फाइलों की संख्या
i.	प्रधानमंत्री कार्यालय	58
ii.	गृह मंत्रालय	37
iii.	विदेश मंत्रालय	200
iv.	मंत्रिमंडल सचिवालय	09
	कुल	304

तदनुसार, उपर्युक्त मंत्रालयों/कार्यालयों ने सार्वजनिक किए गए कुल 304 अभिलेख/फाइलें स्थायी रूप से रखे जाने हेतु राष्ट्रीय अभिलेखागार को अंतरित किए हैं। 304 फाइलों में से 303 फाइलें नेताजी वेबपोर्टल अर्थात www.netajipapers.gov.in पर पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं।

राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार की सार्वजनिक की गई फाइलों/अभिलेखों का अभिरक्षक है।

इसके अलावा, 1997 में राष्ट्रीय अभिलेखागार को रक्षा मंत्रालय से इंडियन नेशनल आर्मी (आजाद हिंद फौज) के संबंध में सार्वजनिक की गई 990 फाइलें, और 2012 में गृह मंत्रालय से, खोसला आयोग (271 फाइलें/मदें) तथा न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग (759 फाइलें/मदें) के संबंध में 1030 फाइलें/मदें प्राप्त हुई थीं। ये सभी फाइलें/मदें सार्वजनिक अभिलेख नियमावली, 1997 के तहत जनता के लिए पहले ही खुली हैं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।